राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–563/2015

चतुर सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर द्वितीय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रतिनिधि।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 23.09.1978 को कार्य ग्रहण किया। इसके पश्चात अपीलार्थी का चयन बाद में अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर हुआ। अपीलार्थी को दिनांक 08.10.1982 को कार्यमुक्त किया गया। उसके बाद अपीलार्थी ने दिनांक 09.10.1982 को अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्य ग्रहण किया। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवा में कोई ब्रेक नहीं था। अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर दिनांक 09.10.1984 को स्थायी किया गया। अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 25.01.1992 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति व्याख्याता के पद पर पातेय वेतन पर दिनांक 31.11.2000 को हुई थी। अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति व्याख्याता के पद पर वर्ष 2002–03 की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी के द्वारा की गयी। अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 31.07.2012 को हुई। अपीलार्थी ने व्याख्याता के पद पर 11 वर्ष 5 माह तक कार्य किया एंव राजकीय सेवा में कुल अवधि 34 वर्ष रही। अपीलार्थी ने उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करने के आधार पर अपीलार्थी की सेवा की अवधि कुल 27 वर्ष से अधिक होती है। अपीलार्थी को एक अतिरिक्त एसीपी का लाभ दिया जाना चाहिए था, परन्तु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया।
2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> "It is, therefore, humbly prayed that the appeal of the appellant may kindly be allowed with costs and the respondents may kindly be directed to allow one ACP w.e.f. 6-03-11 with all consequential benefits with 12% interest on arrear and accordingly revised PPO, GPO and CPO to the appellant with all consequentilal benefits, alongwith 12% interest."

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने डीपीसी के पश्चात् दिनांक 28.11.2005 को व्याख्याता पद पर कार्य ग्रहण किया। अतः व्याख्याता पद पर लाभ 28.11.2005 से देय है। अपीलार्थी को 31.11.2000 से पातेय वेतन व्याख्याता के पद पर पदौन्नत किया गया। परन्तु मूल पद द्वितीय श्रेणी अध्यापक था। डीपीसी के पश्चात् 28.11.2005 को व्याख्याता पद पर पदस्थापित किया गया। व्याख्याता स्कूल शिक्षा को नियमानुसार 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एसीपी वेतनमान के लाभ देयता बनती है, अपीलार्थी सिधी भर्ती से वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय वेतन श्रृंखला में दिनांक 09.10.1982 को कार्यग्रहण किया गया, इस प्रकार अपीलार्थी के 30 वर्ष दिनांक 09.10.2012 को पूर्ण होते है जबकि अपीलार्थी दिनांक 31.07.2012 को सेवा निवृत हो गया। अतः 30 वर्षीय एसीपी का लाभ नियमानुसार देय नही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।
4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर हुई थी। पूर्व में अपीलार्थी की सेवाएं तदर्थ आधार पर थी। अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर दी गई सेवा ही गणना योग्य है। ऐसे में अपीलार्थी की सेवा की गणना दिनांक 09.10.1982 से की जाएगी। जहां तक एसीपी वेतनमान दिये जाने का प्रश्न है तो हम पाते हैं कि व्याख्याता स्कूल शिक्षा को नियमानुसार 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एसीपी वेतनमान का लाभ देय होता है। अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक 09.10.1982 को हुई थी और अपीलार्थी व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर वर्ष 2002–03 के विरूद्ध पदोन्नत हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ 30 वर्ष पश्चात देय होता है। अपीलार्थी की सेवा की गणना दिनांक 09.10.1982 से किये जाने पर 30 वर्ष दिनांक 09.10.2012 को पूर्ण होती है, जबकि अपीलार्थी इससे पूर्व ही सेवानिवृत हो गया था। इस प्रकार तृतीय एसीपी का लाभ देय नहीं था।
6. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)